(नियम 26)

ज अदालत ------उपखण्ड अधिकारी---मुकाम-------चिड़ावा-----------

-----------तनीशा------ बनाम --------------उषा वगै0------

रस्म मुकदमात–प्रार्थना पत्र अ0धारा 251 क---नं.---11---सन् ------2023---

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिश्यिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
28.02.24	पत्रावली आज वास्ते निर्णय पेश हुयी। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली पर मौजूद प्रार्थना पत्र प्रार्थीया, जवाब प्रार्थना पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार/भू0अ0निरीक्षक दिनांक 19.09.2023 राजस्व रिकॉर्ड आदि का अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। जिससें जाहिर होता है कि प्रार्थीया नें अपनें खेत खसरा नं0 8 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं0 31/5, 5, 6, 7 के उत्तरी सीमा के सहारे–सहारें 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहने हेतु आवेदन किया गया है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 4 ता 6, 9 ता 11 नें इकबालिया जवाब पेश किया व रास्ते के बदले किसी प्रकार कि भूमि व प्रतिफल राशी नही जाही गयी है। तहसीलदार चिड़ावा के पत्रांक भू0अ0/2023/1554/दिनांक 19.09.2023 के साथ सलंग्न रिपोर्ट भू0अभि0 निरीक्षक 15.09.2023 में भी राजस्व ग्राम चकआलमपुर पटवार हल्का धतरवाला, के भूमि खसरा नं0 34/4 की 400 वर्ग मीटर व खसरा नं0 31/5 की 24 वर्गमीटर, खसरा नं0 5 की 600 वर्गमीटर, खसरा नं0 6 की 540 वर्गमीटर, खसरा नं0 7 की 720 वर्गमीटर भूमि में रास्ता दिये जानें की अनुशषां की गयी है। रिपोर्ट तहसीलदार चिड़ावा से प्राप्त होनें पर पत्रावली में प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 3 नें लिखित राजीनामा पेश किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 3 नें प्रार्थीया को रास्ते दिये जाने में सहमति जाहिर की गई व उक्त रास्ते के बदले प्रार्थीया कें भूमि खसरा नं0 8 में से अप्रार्थी संख्या 3 के खेत के लगती हुयी भूमि दिलवायी जावे। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखतें हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। **आदेश** प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्रमा चकआलमपुर पटवार हल्का धतरवाला, तहसील चिड़ावा स्थित अनावेदकगण की भूमि निम्ननुसार है। ➢ भूमि खसरा नं0 31/5 रकबा 0.0300 है0, में 4 मीटर लम्बाई व 6 मीटर चौड़ाई कुल रकबा 0.0024 हैक्टयर। ➢ खसरा नं0 5 रकबा 0.6400 है0 में 100 मीटर लम्बाई व 6 मीटर चौड़ाई जिसका कुल रकबा 0.0600 हैक्टयर। ➢ खसरा नं0 6 रकबा 1.2824 है0 में 90 मीटर लम्बाई व 6 मीटर चौड़ाई जिसका कुल रकबा 0.0540 हैक्टयर । ➢ खसरा नं0 7 रकबा 2.31 है0 में 120 लम्बाई व 6 मीटर चौड़ाई जिसका कुल रकबा 0.0720 हैक्टयर । उक्त भूमियों की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 6 मीटर चौड़ा रास्ता कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में गै0 मु0	

उप खण्ड अधिकारी
चिडावा जिला झुन्झुनू (राज.)

सार्वजनिक राजकीय रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त रास्ते के बदले में भूमि खसरा नं0 31/5 ,5, 6 के खातेदारों को किसी प्रकार का प्रतिफल राशि व भूमि नहीं चाही गई, भूमि खसरा नं0 7 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 3 को रास्ते हेतु कुल रकबा 0.0720 हैक्टयर भूमि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नं0 8 में से पश्चिम सीमा के सहारे–सहारे से कम किया जाकर नवीन खसरा नम्बर कायम कर अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पालना व राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीदलार चिड़ावा को तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैशल शुमार व नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपाखण्ड अधिकारी
चिड़ावा

उप खण्ड अधिकारी
चिडावा जिला झुन्झुनू (राज.)